न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज0

पीठासीन अधिकारी – नीता बसीटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
16 / 2023	16 / 02 / 2023	21 / 12 / 2023

प्रिंस आयु 14 वर्ष नावालिग पुत्र स्व0 ओपेन्द्र कुमार जाति मीना जर्ये संरक्षक वली माता जनक दुली पत्नि ओपेन्द्र कुमार नि0 खेडली देव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास नयागांव चन्द्रपुरा तह0 किशनगुज जिला बारां राज0

प्रार्थी

वनाम

1. रामकुंवार पुत्र हीरा जाति मीना निवासी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास नयागांव चन्द्रपुरा तह0 किशनगज जिला बारां राज0
2. शान्ति पुत्री हीरा पत्नि देवीराम जाति मीना निवासी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 हालनिवास सोंई तह0 व जिला श्योपुर म0प्र0
3. द्वारका पुत्री हीरा पत्नि ओमप्रकाश जाति मीना निवाररसी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हालनिवास कलमंडा तह0 बडौदी जिला श्योपुर म0प्र0।
4. प्यारी पुत्री ही पत्नि रामनिवास जाति मीना निवासी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हालनिवास कलमंडा तह0 बडौदी जिला श्योपुर म0प्र0।
5. कौशल्या पुत्री हीरा पत्नि सुरेश जाति मीना निवासी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हालनिवास कलूणी (महाराजपुरा) तह0 वडौदा जिला श्योपुर म0प्र0।
6. सावु पुत्री हीरा पत्नि रामवतार जाति मीना निवासी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हालनिवास जावदेश्वर तह0 व जिला श्योपुर म0प्र0।
7. रामावतार पुत्र सूरजमल जाति मीना निवासी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास नयागांव चन्द्रपुरा तह0 किशनगंज जिला बारां।
8. पप्पूडीवाई पुत्री सूरजमल जाति मीना निवासी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास नयागांव चन्द्रपुरा तह0 किशनगंज जिला बारां।
9. राधेश्याम पुत्र हीरा जाति मीना निवासी खेडलीदेव तह0 पीपल्दा जिला बारां राज0।
10. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा खातेदारी एवं विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडलीदेव की जमावदी सम्वत 2073–2076 की खाता संख्या 89 में खसरा संख्या 415/25 रकबा 0.12 है0, खसरा संख्या 43 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 67 रकबा 2.06है0, कुल 3 किता की 2.42है0, भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

यह कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जो अप्रार्थी संख्या 1 को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से प्रार्थी का जन्म से ही विवादित भूमि में सहदायिक हित उत्पन्न हो गया है व वादी अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अपने निहित 1/3 हिस्से की भूमि पर खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक से बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है।

यह कि पक्षकारान मीना जाति के सदस्य है, जाकि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर धारा 2 (2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दू विधि से शासित होते है, जिसके अधीन विवादित भूमि में वादी के मुकाबले (विरूद्ध), अप्रार्थी कम 2–6 को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं है। क्योंकि मीना जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थी कम 2 ता 6 मीना जनजाति की विधि से शासित होने के कारण वादग्रस्त भूमि में उन्हें बतौर खातेदार भूमि धारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रश्नगत वाद में अप्रार्थी कम 2 ता 6 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर अप्रार्थीकम 1 रामकुवार व अप्रार्थीकम 7 ता 9 के समेकित राजस्व खाते में उक्त भूमियों की प्रवृष्टि कर अप्रार्थी कम 1 के खाते की कृषि भूमि पर 1/3 अर्थात कुल जोत का 1/9 भाग प्रार्थी प्राप्त करने का एवं तदनुसार घोषणा करवाने का अधिकारी है। तदर्थ वाद पत्र है अप्रार्थी 7 ता 9 को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अकित होने से पक्षकार बनाया जा रहा है। उनके विरूद्ध कोई प्रभावी सहायता नहीं चाही गई है।

यह कि प्रार्थी अपने निहित हिस्से के अनुरूप ही विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज कास्त है। किंतु राजस्व अभिलेख में नाम न होने से अप्रार्थी कम 1 राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम का लाभ उठाकर वादग्रस्त पैतृक सम्पत्ति को शीघ्रत्तम अन्यत्र विकय करने एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से प्रार्थी प्रिंस के निहित हिस्से की भूमि में स्वयं 1/3 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से विभाजन करवाये। तदर्थ वाद प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थी द्वारा उनके निहित हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थी कम 1 से निवेदन किया गया तो उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार कर दिया गया इसलिए वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पडा।

यह कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है क्योंकि विवादित भूमि पैतृक सहदायिकी सम्पत्ति होने से प्रार्थी का विवादित भूमि में जन्म से ही अधिकार है इसी प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं की गई तो अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेखों में हो रखे स्वयं के नाम के अंकन का अनुचित लाभ उठाकर विवादित भूमि को

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोर्ट

अन्यत्र खुर्द–बुर्द करने में सुल हो जायेंगे जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन संभव नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। अप्रार्थीगण 1 ता 9 की ओर से श्री कमल बंसल एडवोकेट द्वारा वकालत एव जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की सभी मदो की अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत करते हुए आपत्ति की गई की प्रा0 पत्र में वर्णित आराजी पर प्रतिवपादी कम 1 को कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की कृषि आराजीयात देवखेडली के अलावा ग्राम चन्द्रपुरा व जेतपुरा तह0 किशनगंज जिला बारां में स्थित है तथा पारिवारिक विभाजन के आधार पर प्रति0 कम 1 को ग्रम चन्द्रपुरा व जेतपुरा की भूमियां हिस्से में आई है। देवखेडली की उक्त विवादित आराजी पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रतिवादी कम 7 व 8 तथा प्रति0 कम 9 के हिस्से में आई है।

यह कि प्रार्थी द्वारा ग्राम चन्द्रपुरा व जेतपुरा की कृषि आराजीयात का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगज में वर्ष 2020 में पेश किया था जो जैरकार है। ग्राम देवखेडली की आराजी पर प्रति0 कम 1 का कब्जा नहीं होने से प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि प्रार्थी को उसके हिस्से आराजी ग्राम चन्द्रपुरा व जेतपुरा में दे रखी है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है व काबिले खारिज है।

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रति0 कम 1 के दूसरे पुत्र दिनेश कुमार व पुत्रियों प्रिंयका व राजेश को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए वाद में नोन जॉईण्डर पार्टीज का दोष होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष व अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे। इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रा0 पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी का अप्रार्थीकम 1 के हिस्से कि आराजी के हक अधिकार में है यह मानकर प्रा0 पत्र स्वीकार भी किया जाता है तो अन्य सहखातेदारान के हक अधिकार प्रभावित होंगे। विवादित आराजी खातेदारी अधिकारों की घोषणा मूल वाद के निस्तारण के समय ही तय की जानी है।

मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हक अधिकार सुरक्षित रहें यह भी न्यायालय को तय करना है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीकम 1 रामकुवार के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक मालग्राम खेडलीदेव की जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की खाता सं0 89 में ख0सं0 415/25 रकवा 0.12 है0, खसरा संख्या 43 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 67 रकबा 2.06है0, कुल 3 किता की 2.42है0, भूमि स्थित हिस्से

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

आराजी में अप्रार्थी 1 प्रार्थी के कृषि कार्य में मौके एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति कायम रखे। किसी प्रकार का रहन, बकीस, बेचान नहीं करें। किसी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी एजेण्टों से करावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

नीता दधीच

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

इटावा जिला कोटा